<u>दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक के लिए कार्यावली</u>

<u>अन्य विविध मामले :–</u>

मद संख्या (घ–2):–

परिवादकर्त्ता वसीउर रहमान के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार गप्ता के माध्यम से अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना को समर्पित परिवाद पत्र एवं अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के पृष्ठांकन आदेश के अनुपालनार्थ राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा अंतर्राज्यीय मार्ग अम्बिकापुर से बोधगया पर मेसर्स नवीन ट्रॉंसपोर्ट के बस संख्या– CG-07E-2097 एवं CG-07E-1899 के पक्ष में निर्गत क्रमशः स्थायी परमिट संख्या–CG/ STA/101/2014 एवं CG/ STA/102/2014 के पक्ष में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत परमिट प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या–24/2014 एवं 25/2014 को रद्द करने के संबंध में ।

उल्लेखनीय है कि परिवादकर्त्ता वसीउर रहमान द्वारा उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंतर्राज्यीय मार्ग अम्बिकापुर से बोधगया पर राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा मेसर्स नवीन ट्रॉंसपोर्ट के वाहन संख्या CG-07E-2097 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट संख्या– CG/ STA/101/2014 के विरूद्ध राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या– 24/2014 तथा वाहन संख्या– CG-07E-1899 के पक्ष में निर्गत स्थायी परमिट संख्या– CG/ STA/102/2014 के विरूद्ध राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या–25/2014 को इस आधार पर रद्द करने संबंधी परिवाद पत्र/आवेदन अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के समक्ष समर्पित किया गया है कि उक्त दोनों वाहनों के पक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर से भी दुर्ग से अम्बिकापुर मार्ग पर अन्तर्क्षेत्रीय परमिट संख्या–112/BSP/2014 एवं 113/BSP/2014 निर्गत किया गया है, अर्थात उक्त दोनों वाहनों के पक्ष में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिलासपुर सहित राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ से भी दो–दो परमिट निर्गत किया गया है ।

अतएव परिवादकर्त्ता से प्राप्त उक्त परिवाद पत्र/आवेदन के आलोक में वाहन संख्या– CG-07E-2097 एवं CG-07E-1899 के पक्ष में अंतर्राज्यीय मार्ग अम्बिकापुर से बोधगया पर राज्य परिवहन प्राधिकार, छत्तीसगढ़ द्वारा निर्गत परमिट संख्या– CG/ STA/101/2014 एवं CG/ STA/102/2014 के विरूद्ध राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार द्वारा निर्गत प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या–24/2014 एवं 25/2014 को रद्द करने के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकार का निर्णय अपेक्षित है ।

नोटः– कार्यावली (एजेन्डा) में किसी भी प्रकार की अशुद्धि/त्रुटि/ टंकण अशुद्धि पाये जाने पर उसमें सुधार का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।